न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 73/2018 वाद
दायर दिनांक – 14/06/2018
निर्णय दिनांक – 09/03/2021

अनवान

1. पिन्टु पिता उंकार जाति कुमावत निवासी पेमाखेडा हाल महावीर नगर, इन्दौर

वादी

बनाम

1. धनराज पिता उंकार जाति कुमावत निवासी पेमाखेड़ा तह0 रेलमगरा
2. गंगा पत्नि उंकार जाति कुमावत निवासी पेमाखेड़ा तह0 रेलमगरा
3. तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्त

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम पेमाखेड़ा तहसील रेलमगरा में स्थित कृषि आराजी संख्या 269, 319, 328 कुल किता 03 रकबा 03–04 बिघा एवं आराजी संख्या 342, 344, 345, 381, 397 कुल किता 05 रकबा 07–10 बीघा स्थित है। प्रमाण नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां वादी के पिता की होकर से विरासत से वादी व अन्य को प्राप्त हुई थी। वाद्दी के पिता की मृत्यु दिनांक 14/01/1998 को हो गई थी। जिससे उनका नामान्तरकरण दिनांक 08/09/1998 को निर्णित किया गया। जिसमें वादी का भाई धनराज व वादी व वादी की मां के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में वादी का नाम पिन्टु के बजाये देवीलाल पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया जिससे वादी का नाम पिन्टु की जगह देवीलाल अंकित होकर राजस्व रेकॉर्ड में देवीलाल अंकित कर दिया गया जबकि उकारजी के देवीलाल अंकित कर दिया जबकि उंकार जी के देवीलाल नाम का कोई पुत्र नहीं होकर धनराज एवं वादी ही है। जो वादी का नाम देवीलाल न होकर पिन्टु है। पटवारी हल्कार द्वारा जानकारी के अभाव में व पिन्टु जन्म से महावीर नगर इन्दोर में निवास करने से पिन्टु का नाम सहवन से गलत नाम देवीलाल अंकित कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से उक्त वाद पेश है। उक्त आराजीयात में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में देवीलाल के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम देवीलाल नहीं होकर पिन्टु पिता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उंकार के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में पिन्दु अंकन होना चाहिये था लेकिन पिन्दु की जगह देवीलाल अंकन हो गया। क्योंकि श्री उंकार की मृत्यु हुई तब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम पिन्दु के बजाय देवीलाल दर्ज हो गया था जबकि वादी को पिन्दु के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादी के नाम का है। उसमें पेनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र व लाईट बिल सभी में पिन्दु पिता उंकार नाम से ही वादी का नाम अंकन है। खातेदार देवीलाल पिता उंकार एवं वादी एक ही व्यक्ति है। इस नाम का ओर कोई व्यक्ति गांव पेमाखेड़ा में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियों की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में पिन्दु की बजाय देवीलाल दर्ज है जिससे वादी ने राजस्व अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी का मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नहीं सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी संख्या 03 के यहां बार–बार जाता रहा तो वादी का नाम नहीं सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी संख्या 03 के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में देवीलाल पिता उंकार के बजाय पिन्दु पिता उंकार अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 03 ने कहा कि इसके लिए वादी को उक्त प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने नाम पिन्दु पिता उंकार को राजस्व अभिलेख में देवीलाल पिता उंकार के बजाय दर्ज कराने का वादपत्र प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम सही अंकन है जो पिन्दु पिता उंकार है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में पिन्दु पिता उंकार के बजाय देवीलाल पिता उंकार गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विकय आदि कर सकता है जिससे वादी के लिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद के भाइ एवं सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व वादी की मां प्रतिवादी संख्या 02 को किसी भी आपत्तिवश पक्षकार बनाया गया है। वादी ने इस बाबत् विपक्षी को नाम सुधारने हेतु कहा व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 03 ने मना कर दिया व इस वादपत्र के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 03 को अपना सही नाम अंकन देवीलाल पिता उंकार की बजाय पिन्दु पिता उंकार राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु कहा तो विपक्षी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी के प्रार्थना पत्र का हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त भूमि ग्राम पेमाखेड़ा तहसील रेलमगरा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिकी प्रदार कराई जावें कि ग्राम पेमाखेड़ा तहसील रेलमगरा में स्थित कृषि आराजी संख्या 269, 319, 328, 342, 344, 345, 381, 397 के खातेदार देवीलाल पिता उंकार के बजाये सही इन्द्राज पिन्दु पिता उंकार दर्ज अंकित कराया जावें। अन्य कोई समूचित सहायता जो वादी प्राप्त करने कर अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

गवाह पीडब्लयू 1 पीन्दु का शपथ पत्र एवं दस्तावेज जमाबंदी व नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपियां एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम पिन्दु अंकित है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम पेमाखेड़ा तहसील रेलमगरा में स्थित कृषि आराजी संख्या 269, 319, 328 कुल किता 03 रकबा 03–04 बिघा एवं आराजी संख्या 342, 344, 345, 381, 397 कुल किता 05 रकबा 07–10 बीघा में अंकित वादी का नाम देवीलाल पिता उंकार के बजाये देवीलाल उर्फ पिन्दु पिता उंकार किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा